न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

निगरानी क्र......./16 नि़गा - 645 - II - 16

भैरोसिंह आ.ईमरतसिंह आयु वयस्क,
कृषक व निवासी ग्राम बिछिया, पो.दौराहा,
तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. अब्दुल अजीम खॉ आ.अब्दुल हकीम खॉ जाति पिंजारा आयु वयस्क
2. अब्दुल वसीम खॉ आ.अब्दुल हकीम खॉ जाति पिंजारा आयु वयस्क
दोनो कृषक व निवासी ग्राम बिछिया, पो.दौराहा,
तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र. ....प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16/10/2015 जो प्रकरण क्र. 26/अ–12/2014–15 में द्वारा पारित पटवारी हल्का नं. 21 तहसील श्यामपुर तहसीलदार श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र. द्वारा पारित किया गया।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता हैं –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम बिछिया पटवारी हल्का नं.21 राजस्व निरीक्षक मंडल–02 तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर ग्राम बिछिया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 69/1, 476/49/1 रकबा 1.781 हेक्टेयर एवं सर्वे नं.69/2, 476/49/2 रकबा 1.781 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28/10/2014 को प्रस्तुत किया गया, बिना पड़ौसी कृषको एवं निगरानीकर्ता को सूचना पत्र तामिल किये साथ में प्रतिनिगरानीकर्तागण को सूचना पत्र तामिल किये जिस पर बिना विधिवत् सूचना पत्र तामिल किये दिनांक 08/10/2015 को एवं 15/10/2015 को सीमांकन कार्यवाही पूर्ण करना बतलाते हुए दिनांक 16/10/2015 को पारित आदेश के द्वारा सीमांकन कार्य की पुष्टि की गई जिसे निम्न आधारो पर चुनौती दी जाती है :–

––2––

R-645-IE/16 सीहोर-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
30/8/16 भोपाल	आवेदक एवं आवेदक अभिभावक को समय - समय पर बुलाने पर, कोई उपस्थित नहीं अतः आवेदक अभि० अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम-पैरवी में समाप्त किया जाता है। सदस्य	

M